न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 4/2012

बउनवान

1. असगरअली आयु 52 वर्ष पुत्र काजमअली जाति मुसलमान
2. शौकतअली आयु 44 वर्ष काजमअली जाति मुसलमान, निवासीगण शाहाबाद व समरानिया तहसील शाहाबाद, जिला बारां (राज0) **(निगराकार)**

बनाम

1. ग्राम पंचायत शाहाबाद, पंचायत समिति शाहाबाद, जिला बारां जर्ये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत शाहाबाद, जिला बारां (राज0)
2. तहसीलदार शाहाबाद, जिला बारां (राज0)
3. आशाबाई पुत्री बुद्धिप्रकाश, जाति हरिजन, निवासी शाहाबाद, जिला बारां (राज0) **(गैरनिगराकारान)**

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :– 1. श्री आलोक गोयल अभिभाषक **(निगराकार)**
2. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(गैर निग. क्रम–3)**

निर्णय दिनांक 02.09.2022

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम शाहबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 169, 170, 171, 172, 173 कुल किता 5, कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर निगराकार 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत को दान दिए जाने के उपरांत इंतकाल नंबर 52 से ग्राम पंचायत के खाते दर्ज हुई है जो वर्तमान में कृषि भूमि है। उक्त भूमि उनके द्वारा सार्वजनिक हित में बस स्टेंड के विस्तार के उपयोग के लिए समर्पित की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा उक्त भूमि के बदले पंद्रह बीघा कृषि भूमि शाहबाद तहसील में आवंटन करने का आश्वासन दिया गया था परंतु आज तक भूमि के बदले उन्हें भूमि का आवंटन नहीं हुआ है।

ग्राम पंचायत द्वारा आशाबाई के नाम खसरा नंबर 177 में 15×40 वर्गफुट का प्लॉट दिया गया है जबकि कृषि भूमि में ग्राम पंचायत को प्लॉट देने का अधिकार नहीं है। उप जिला कलक्टर शाहबाद ने दिनांक 05.12.1991 को ग्राम पंचायत शाहबाद को यह निर्देश दिए कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु है इसको अन्य आबादी के कार्यों में नहीं लिया जाए। कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कराए बिना ग्राम पंचायत शाहबाद को पट्टे देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः ग्राम पंचायत शाहबाद को आराजी खसरा नंबर 169, 170, 171, 172, 173 जो सार्वजनिक हित के लिए प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा दान की गई थी को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए खुलासी रखा जाए तथा आशा कुमारी को बिना भूमि आबादी में रूपांतरण कराए जारी किए गए पट्टे को निरस्त किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

बाद सुनवाई न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा आशा कुमारी पुत्री बुद्धी प्रकाश के नाम जारी पट्‌टा दिनांक 26.02.1991 निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत को दान की गई आराजी को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए खुलासा रखे जाने का निर्णय दिनांक 31.03.2009 को पारित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर आशा कुमारी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा में इसकी निगरानी पेश की गई। संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा दिनांक 19.03.2012 को प्रकरण में निगरानीकर्ता श्रीमती आशा कुमारी को पक्षकार बनाते हुए सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर निर्णय में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देश प्रदान किए।

न्यायालय संभागीय आयुक्त के उक्त निर्णय के क्रम में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर आशा कुमारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। दिनांक 05.11.2012 को श्रीमती आशा कुमारी न्यायालय में उपस्थित हुई तथा उनकी ओर से एडवोकेट श्री बृजराज सिंह चौहान ने दिनांक 19.12.2012 को वकालतनामा पेश किया। श्रीमती आशा कुमारी को निगरानी में अप्रार्थी संख्या तीन बनाया गया। कई अवसर दिए जाने के उपरांत भी अप्रार्थी क्रम संख्या 3 श्रीमती आशा कुमारी द्वारा प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वक्त बहस निगराकार तथा उसका अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः गैर निगराकार की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर पट्‌टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाए।

गैर निगराकार के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगराकार द्वारा निगरानी में उसके पूर्वजों द्वारा दान की गई भूमि को खुलासा रखने तथा आशा कुमारी को जारी किए गए पट्‌टे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। निगराकार द्वारा निगरानी में आशा कुमारी को खसरा नंबर 177 में से पट्‌टा दिया जाना अंकित किया है जबकि उक्त भूमि उसके द्वारा दान नहीं दी गई है। अतः निगरानी में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे आशा कुमारी को दिए गए पट्‌टे में नियमों की अवहेलना होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में आशा कुमारी को दिए गए पट्‌टे के संबंध में निगराकार द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित नही होने से निगराकार की निगरानी निरस्त की जाती है। तथा निगराकार के पूर्वजों द्वारा समर्पित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को उक्त भूमि नियमानुसार उपयोग करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.09.20[illegible] को भरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)